न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी— डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	प्रार्थीया
1. प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शान्तिवन, तलहटी ग्राम दानवाव तहसील आबूरोड जरिये महासचिव बी.के.निर्वेर पुत्र स्व. श्री दीदार सिंह जाति सैनी निवासी ब्रहमाकुमारी शान्तिवन तलहटी ग्राम दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही		1. श्री हंसाराम पुत्र केसाराम जाति गरासिया निवासी योगीनगर शान्तिवन गेट नम्बर 3 के पीछे ग्राम दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2018
दिनांक 10-02-2021

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम दानवाव में माफिक जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2073 से 2076 के खेवट खतौनी संख्या नई 192 पुरानी 163, खसरा नम्बर 349/105 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3, स्थित है। उपरोक्त भूमि के खातेदार श्री कान्त पुत्र श्री नारायण मराठा निवासी ओरिया तहसील आबूरोड एवं सतीश भाई पुत्र श्री रामपालसिंह जाति गुर्जर निवासी ओरिया तहसील आबूरोड थे। यह कि भूमि के पूर्व खातेदारान ने उपरोक्त भूमि जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 01.06.2017 को प्रार्थी को दान में दे दी। यह कि अप्रार्थी ने उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसे करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। यह कि दानपत्र को स्वीकार करने के दिन ही अप्रार्थी का विवादित भूमि पर पिछले 3 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी खाली नहीं करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद के निर्णय तक तहसीलदार आबूरोड को या अन्य किसी अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करवाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 349/105 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3 कृषि भूमि मौजा दानवाव मे स्थित है। जिस पर कोई कृषि कार्य कभी नहीं हुआ था, वहां पर बडे–बडे बहुमंजिला भवन बने हुए है रास्ते बने हुए है उक्त बहु मंजिला भवन प्रार्थी संस्था के सेवको व कर्मचारियों के उपयोग व उपभोग में आ रहे है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में इन्द्राज की हुई है। उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी संस्था के नाम दर्ज नहीं है तथा न ही प्रार्थी संस्था के महासचिव बी0के0 निर्वेर का ही नाम दर्ज है। तथाकथित पंजीकृत दानपत्र दिनांक 01.06.2017 का तथा राजस्व रेकर्ड में वर्णित खातेदार दोनों ही भिन्न–भिन्न स्थितियाँ है। इस कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रार्थी संस्था को यह वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी प्रश्नगत आराजी ग्राम दानवाव के खसरा नम्बर 349/105 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3 के रेकर्डेड खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित नहीं कर पाया है। जहां तक प्रश्नगत आराजी के संबंध मे रिसीवर नियुक्त करने का प्रश्न है, प्रार्थी यह शर्ते अपने शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य मे साबित नही कर पाया कि प्रश्नगत सम्पत्ति के दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान/हानि [illegible] अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा या भय हो। ऐसी स्थिति मे प्रापक (रिसीवर) नियुक्त करने का कोई औचित्य नही रहता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:50:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

आदेश

यह कि प्रार्थी प्रश्नगत आराजी ग्राम दानवाव के खसरा नम्बर 349/105 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3 के रेकर्डेड खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में प्रार्थी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है। जहां तक प्रश्नगत आराजी के संबंध मे रिसीवर नियुक्त करने का प्रश्न है, प्रार्थी यह शर्ते अपने शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य मे साबित नही कर पाया कि प्रश्नगत सम्पत्ति के दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान/हानि पहुँचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा या भय हो। ऐसी स्थिति मे प्रापक (रिसीवर) नियुक्त करने का कोई औचित्य नही रहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.2.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:35 IST
Reason: SelfAttested